RBE No. 22/2011 GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय (RAILWAY BOARD रलये बोर्ड) New Delhi, dated 15 .02.2011 No. E(W) 2010/FU-1/4 The General Managers (Personnel) All Zonal Railways and Production Units, etc. Sub: Staff Benefit Fund - Continuance of benefits to staff receiving benefit of the MACP Scheme. Ref: This office letter of even number dated 26.04.2010. Some of the Zonal Railways have sought clarification as to whether the staff in Grade Pay ₹ 1,800 and below and eligible for benefits of scholarship for higher education and relief of distress/sickness etc. under Items I(i)(a)(2), I(i)(a)(3) and I(i)(d)(2) of this office letter dated 26.04.2010 ibid are entitled for these benefits even after being placed in higher Grade Pay under the MACP Scheme. The matter has been considered and it is clarified that since even after placement in higher Grade Pay under the MACP Scheme the employee continues to retain the classification of his/her basic post, such staff continue to be eligible for these benefits under SBF. The grant of these benefits shall, however, be subject to the staff in the lower Grade Pay being given precedence. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways. To sper Could Please acknowledge receipt. (Debasis Mazumdar) Joint Director Estt. (Welfare) Railway Board. Contd..2/-

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.ई (डब्ल्यू)/2010/एफ यू-1/4

नई दिल्ली, दिनांक: 15 .02.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.

> विषय: कर्मचारी हित निधि-आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोत्रयन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को लाभ जारी रखना

संदर्भ : इस कार्यालय का दिनांक 26.04.2010 का समसंख्यक पत्र.

कुछ क्षेत्रीय रेलों ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या 1,800/-रु. तथा इससे कम ग्रेड पे वाले कर्मचारी आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर ग्रेड पे में रखे जाने पर भी इस कार्यालय के दिनांक 26.04.2010 के पत्र की मद I(i) (क) I(i) (a) I(i) (b) I(i) (b) I(i) (c) के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा विपत्ति/बीमारी आदि में राहत के लाभों के लिए पात्र हैं.

- 2. इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि चूँकि आशोधित सुनिश्चित कै रेयर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर ग्रेड पे में रखे जाने के बाद भी कर्मचारी अपने मूल पद के वर्गीकरण में ही रहता है, इसिलए ऐसे कर्मचारी कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत इन लाभों के लिए पात्र बने रहेंगे. बहरहाल, इन लाभों को प्रदान करने में निम्नतर ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी.
- 3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है.
- 4. कृपया पावती दें.

(देवाशीष मजूमदार) संयुक्त निदेशक, स्था.(कल्याण) रेलवे बोर्ड.